दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 13 सितंबर, 2023
निर्णय उद्घोषित : 06 मार्च, 2024

<u>वैवा.अ.(कु.न्या.) 172/2019</u>

मेजर शशि चौहान .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री विकास नागपाल, अधिवक्ता के साथ अपीलार्थी स्वयं

बनाम

मेजर रितु भसीन .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री मिशिका सिंह, डीएचसीएलएससी की ओर से अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

न्या. नीना बंसल कृष्णा,

प्रतिकारिता, पीड़ा एवं असहिष्णुता सुसंगत सूझबूझ के शत्रु हैं। यद्यपि व्यथित व्यक्ति विधि के तहत अपने अधिकारों के भीतर उपचार का लाभ उठाने का हकदार है, परंतु, एक बार जब पति-पत्नी आपराधिक मुकदमेबाज़ी की इन विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो "वापसी न लौट पाने" की स्थिति अपरिहार्य हो जाती है। अनुचित आरोपों एवं शिकायतों के अभिघात ऐसे घातक घावों का कारण बनती हैं, जिससे असहनीय मानसिक एवं शारीरिक कटुता पैदा होती है, जिससे पति-पत्नी के लिए एक साथ रहना असंभव हो जाता है।

सि.वि.आ. 30029/2019

1. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक/अपीलार्थी वर्तमान अपील को पुनः दायर करने में 45 दिनों की देरी की माफ़ी चाहता है।

2. वर्तमान आवेदन में वर्णित कारणों एवं आधारों के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाता है, वर्तमान अपील को फिर से दायर करने में 45 दिनों की देरी को माफ किया जाता है।

3. तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटान किया जाता है।

वैवा.अ.(कु.न्या.) 172/2019

4. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत वर्तमान अपील अपीलार्थी/पति की ओर से दिनांक 21.12.2018 के निर्णय व डिक्री को

चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (*एतद्पश्चात* एचएमए, 1955" के रूप में संदर्भित) की धारा 13(1)(क) के तहत अपीलार्थी/पति द्वारा दायर विवाह विच्छेद याचिका को खारिज किया गया है।

5. **तथ्य को संक्षेप** में वर्णित करते हुए, अपीलार्थी/पति, जो अब भारतीय सेना में मेजर हैं, 2006 में उसी पद पर आसीन प्रत्यर्थी/पत्नी से मिले थे, जब वे प्रशिक्षण ले रहे थे। अंततः, अपने लंबे प्रेमालाप के बाद उन्होंने जुलाई, 2009 में सगाई कर ली और अंत में नई दिल्ली में दिनांक 11.02.2010 को विवाह कर लिया। यद्यपि उनके विवाह में विवाहोत्तर संभोग हुआ था किन्तु उनके विवाह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। हालांकि, उनकी सगाई के बाद ही मतभेद उभरने लगे, क्योंकि प्रत्यर्थी/पत्नी के अनुसार अपीलार्थी के परिवार की ओर से दहेज की अपेक्षाएं एवं परिणामस्वरूप मांगें उभरने लगीं। अपीलार्थी/पति के माता-पिता को दहेज की उम्मीद थी क्योंकि प्रत्यर्थी/पत्नी पंजाबी थी तथा उनके विवाह में अत्यधिक दहेज दिए जाने की परंपरा है ।

6. **अपीलार्थी/पति ने अपनी विवाह विच्छेद याचिका में प्राख्यान किया है** कि पक्षकार अपने विवाह के बाद लगभग 46 दिनों तक वैवाहिक घर में यानी दिनांक 12.02.2010 से 30.03.2010 तक साथ रहे। तत्पश्चात, अपीलार्थी/पति जो कारगिल में तैनात था, अपनी पोस्टिंग के लिए चला गया, जबकि प्रत्यर्थी/पत्नी अपने माता-पिता के घर में रहने के लिए चली गई।

7. अपीलार्थी/पति ने प्राख्यान किया है कि प्रत्यर्थी/पत्नी अक्सर उसे शारीरिक और यहां तक कि आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित करती थी। प्रत्यर्थी/पत्नी ने अप्रैल, 2010 में एक फ्लैट बुक करने के लिए रु.4,00,000- की मांग की, जिसे अपीलार्थी/पति ने विनम्रता से इंकार कर दिया। हालाँकि, प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति को सुझाव दिया कि उसे यह पैसा उसके माता-पिता से उधार लेना चाहिए, जिस पर वह सहमत नहीं हुआ। अपीलार्थी/पति की अनिच्छा के कारण प्रत्यर्थी/पत्नी के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ गया।

8. अपीलार्थी/पति ने प्रत्यर्थी/पत्नी को समझाने की कोशिश की, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रत्यर्थी/पत्नी के पास एक कार और अपनी एक स्कूटी होने के बावजूद, उसने अपने पिता की कार उसे उसके माता-पिता के घर आने-जाने के लिए देने पर जोर दिया। उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांगों को पूरा नहीं कि जाती, तो वह इस मामले की सूचना उसके कमांडर, ब्रिगेडियर एस. के. साहनी को देगी और उसका भविष्य बर्बाद कर देगी।

9. अपीलार्थी/पति ने पक्षों के बीच विवादों को हल करने में मदद करने के लिए अपने कमान अधिकारी, ब्रिगेडियर एस. के. साहनी तथा उनकी पत्नी से संपर्क किया। श्रीमती अलका साहनी ने प्रत्यर्थी/पत्नी को उनसे मिलने के लिए कहा, लेकिन वह भेंट की तिथि की पुष्टि करने में भी विफल रहीं। इससे अपीलार्थी/पति के लिए अपने वरिष्ठ कमान अधिकारी के समक्ष शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो गई।

10. अपीलार्थी/पति ने प्राख्यान किया कि उनके विवाह को सफल बनाने के लिए, उन्होंने प्रत्यर्थी/पत्नी से अवकाश पर कारगिल में उनके साथ शामिल होने का अनुरोध किया, लेकिन वह सितंबर, 2010 में पांच दिनों के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर लेह आ गयी। अपने छोटे प्रवास के दौरान भी, वह शारीरिक दुर्व्यवहार में संलिप्त रही और यहाँ तक कि उसके साथ हाथापाई भी की।

11. अपीलार्थी/पति ने एक साथ रहने और प्रत्यर्थी/पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए, पाँच दिन की छुट्टी ली और दिनांक 12.12.2010 को दिल्ली आया। हालांकि, प्रत्यर्थी/पत्नी ने महंगे हीरे के सेट की मांग की जिसे अपीलार्थी/पति वहन करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपनी मां के स्वामित्व वाले हीरे के सेट की मांग की, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस दौरान, उसने अपीलार्थी/पति का लैपटॉप वापस करने से इनकार कर दिया जिसे उसने अपने जन्मदिन पर जबरन रखा था।

12. अपीलार्थी/पति के अनुसार, दिनांक 17.12.2010 को लड़ाई हुई, जिसमें प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति के साथ-साथ उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई की। प्रत्यर्थी/पत्नी के साथ उसके माता-पिता भी शामिल हुए जिन्होंने अपीलार्थी/पति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। प्रत्यर्थी/पत्नी के पिता ने अपीलार्थी/पति को यह प्राख्यान करते हुए धमकी दी कि वह "*यमुनापार का गुंडा*" है। अपीलार्थी/पति के पास पुलिस को

बुलाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था और अपीलार्थी/पति के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी।

13. इसी प्रकार की एक घटना दिनांक 25.12.2010 को घटित हुई, जब प्रत्यर्थी/पत्नी अपने माता-पिता के साथ दो अर्दली के साथ सेना के वाहन (4 टन) में अपीलार्थी के माता-पिता के घर गई। अपीलार्थी/पति उस समय उपस्थित नहीं था और उसकी अनुपस्थिति में, उन्होंने आपत्ति और प्रतिरोध के बावजूद अपने माता-पिता से संबंधित अपने सामान, घरेलू सामान और अन्य वस्तुओं को लोड करना शुरू कर दिया। अपीलार्थी/पति के पिता ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकी। प्रत्यर्थी/पत्नी ने स्थिति का अनुचित लाभ उठाया और पुलिस की उपस्थिति में अपीलार्थी/पति की मां को पीटा। चिल्लाने और गाली देने के इस पूरे दृश्य ने अपीलार्थी/पति के परिवार की उनकी कॉलोनी में छवि को धूमिल कर दिया।

14. अपीलार्थी/पति ने प्राख्यान किया कि प्रत्यर्थी/पत्नी के निरंतर उत्पीड़न, कलह एवं अनुचित व्यवहार ने उसकी मन की शांति, भविष्य की संभावनाओं, स्वास्थ्य के साथ-साथ उसकी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बर्बाद कर दिया है। प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा बिना किसी उचित कारण के साथ न रहने और परित्याग करने के कारण, उसका सामान्य जीवन प्रभावित हो गया और वह अपना आधिकारिक काम ठीक से करने और सामान्य वैवाहिक सुख का आनंद

लेने में असमर्थ हो गया, जो मानव जीवन की मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए आवश्यक है।

15. अपीलार्थी/पति ने दावा किया कि उन्होंने अपना विवाह बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन प्रत्यर्थी/पत्नी के अड़ियल स्वाभाव के आचरण के कारण, उनके सभी प्रयास व्यर्थ गए। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति को परेशान करने और ब्लैकमेल करने के लिए सेना के अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और सीएडब्ल्यू सेल में एक और शिकायत दर्ज कराई।

16. इस प्रकार अपीलार्थी/पति ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की।

17. **प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने लिखित कथन में** स्वीकार किया कि वह और अपीलार्थी/पति भारतीय सेना में सेवारत थे और उसके लगातार आग्रह पर उनमें एक-दूसरे के प्रति प्रेम विकसित हुआ।

18. अपीलार्थी/पति ने प्रेमालाप के दौरान उसे यह भी बताया कि वह राजस्थान से है, उसकी सैन्य पृष्ठभूमि है और उसका परिवार उदार विचारों वाला है, जाति, पंथ और धर्म की बाधाओं से ऊपर है तथा उसे इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होगी, जो कि एक अंतर्जातीय विवाह था अर्थात वह एक पंजाबी थी। हालांकि, अपीलार्थी/पति के सभी प्राख्यान एक बड़ा दिखावा साबित हुए

क्योंकि विवाह के तुरंत बाद, अपीलार्थी/पति के माता-पिता ने 10,00,000/- रुपये नकद और एक बड़ी कार की मांग शुरू कर दी क्योंकि अपीलार्थी/पति के माता-पिता इस धारणा के तहत थे कि विवाह में और उसके बाद, प्रत्यर्थी/पत्नी भारी दहेज लाएगी और उनकी मांगों को पूरा करेगी। इस प्रकार, धोखे से, दहेज के लिए कोई शोर-शराबा किए बिना, उन्होंने चालाकी से विवाह संपन्न कराया और उसके बाद अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दीं और अपीलकर्ता/पति ने भी अपने माता-पिता का पक्ष लिया। इस प्रकार, छलपूर्ण तरीके से, दहेज के लिए शोर-शराबा किए बिना, उन्होंने विवाह को परिष्कृत तरीके से निपटाया और उसके बाद अपनी मांगों को उठाना शुरू कर दिया और अपीलार्थी/पति ने भी अपने माता-पिता का पक्ष लिया।

19. प्रत्यर्थी/पत्नी ने दावा किया कि उसका प्रेम-सह-नियोजित विवाह 46 दिनों की छोटी अवधि तक ही चला, हालांकि उसके पहले तीन वर्षों का दीर्घकालिक प्रेमालाप था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/पति को उसके माता-पिता द्वारा अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए कहने के लिए विवश किया गया था।

20. प्रत्यर्थी/पत्नी ने यह भी प्राख्यान किया कि इससे पहले कि वह अपने वैवाहिक जीवन में समायोजित हो पाती, उसे अपीलार्थी/पति के माता-पिता द्वारा दरवाजे के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसे वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया। जिस क्षण अपीलार्थी/पति के माता-पिता को एहसास हुआ

कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, उन्होंने अपीलार्थी/पति को फिर से शादी कराने के इरादे से कोई समय बर्बाद किए बिना, पूरी तरह से झूठे, आधारहीन और फर्जी अभिकथानों पर विवाह विच्छेद याचिका दायर की।

21. प्रत्यर्थी/पत्नी ने प्राख्यान किया कि विवाह विच्छेद याचिका में वर्णित सभी घटनाएं मनगढ़ंत कहानियां हैं। प्रत्यर्थी/पत्नी ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी/पति कारगिल में तैनात था और जब वह अपनी पोस्टिंग के लिए चला गया, तो वह अपने भाई की शादी के कारण अपने पैतृक घर चली गई थी।

22. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति के माता-पिता के आचरण के बारे में उसे समझाया था, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि वह अपने माता-पिता के साथ इस विवाद्यक को सुलझा लेंगे। हालांकि, अपीलार्थी/पति के परिवार के सदस्यों में से किसी ने भी उसे अपने भाई की शादी के बाद वैवाहिक घर लौटने का अनुरोध नहीं किया, जो उसके लिए एक सदमे के जैसा था और उसके सभी सपने चकनाचूर हो गए। उसे केवल इसलिए सरकारी आवास में स्थानांतरित होना पड़ा क्योंकि उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था और अपीलार्थी/पति के माता-पिता को अपना वेतन सौंपने के लिए दबाव डाला जा रहा था।

23. प्रत्यर्थी/पत्नी ने आगे समझाया कि अपना घर बनाने का प्रयास करना उसके लिए पाप नहीं था और अपीलार्थी/पति द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार आसपास की सभी परिस्थितियों को संदर्भ से बाहर बताया गया है।

24. जहाँ तक ब्रिगेडियर एस. के. साहनी के साथ बैठक का संबंध है, प्रत्यर्थी/पत्नी ने दावा किया कि उसका आचरण संदिग्ध था और अपीलार्थी/पति के माता-पिता के समान ही रूढ़िवादी मानसिकता का समर्थन कर रहा था। प्रत्यर्थी/पत्नी ने स्पष्ट किया कि वह वैवाहिक जीवन को बचाने के प्रयास में अकेले पांच दिनों के लिए नहीं बल्कि 10 दिनों के लिए कारगिल/लेह गई थी।

25. यह प्राख्यान किया गया कि अपीलार्थी/पति द्वारा लगाए गए सभी आरोप वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए हैं तथा विवाह विच्छेद दिए जाने का कोई आधार नहीं है।

26. **अपीलार्थी/पति ने अपनी प्रतिकृति में** अपने प्राख्यानों की फिर से पुष्टि की जैसा कि विवाह विच्छेद याचिका में किया गया है।

27. अभिवचनों के आधार पर, विवाद्यकों को दिनांक 12.12.2012 पर विरचित किया गया था जो निम्नानुसार हैं:-

> *"(i) क्या विवाह के अनुष्ठापन के बाद प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है?*
>
> *(ii) राहत।*

28. अपीलार्थी/पति **अभि.सा.1** के रूप में उपस्थित हुए तथा अपने पिता लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) हरे राम सिंह से **अभि.सा.2** के रूप में और मकान मालिक/पारिवारिक मित्र प्रहलाद सिंह से **अभि.सा. 3** के रूप में परीक्षण कराया।

29. प्रत्यर्थी/पत्नी **प्र.सा.1** के रूप में अपने मामले के समर्थन में एकमात्र गवाह के रूप में उपस्थित हुई।

30. **विद्वान कुटुम्ब न्यायाधीश,** कुटुंब न्यायालय ने प्रत्येक घटना पर विचार किया जैसा कि विवाह विच्छेद याचिका में प्राख्यान किया गया था और पाया कि अपीलार्थी/पति प्रत्यर्थी/पत्नी के कदाचार या अनुचित मांगों के किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाई है और यह भी पाया कि केवल सीएडब्ल्यू सेल में आपराधिक शिकायत दर्ज करना या परिणामी प्राथमिकी दर्ज करना, अपने आप में क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता है।

31. इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि अपीलार्थी ने स्वयं प्रत्यर्थी/पत्नी की दूसरी शादी के आरोप लगाए हैं, जिसकी पुष्टि किए बिना, जिसे अपने आप में एक क्रूर व्यवहार कहा जा सकता है और उसे अपनी त्रुटियों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि विवाह विच्छेद याचिका में लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं था तथा **विवाह विच्छेद याचिका खारिज कर दी गयी थी** ।

32. दिनांक 21.12.2018 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी/पति द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

33. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क कि पुष्टि करने और अपील में उठाए गए आधारों के समर्थन में *प्रीति बनाम विकास* वैवा.अ.(कु.न्या.)14/2023; *ममता बनाम प्रदीप कुमार* वैवा.अ.(कु.न्या.)12/2021; *पूनम वाधवा बनाम राजीव वाधवा* वैवा.अ.(कु.न्या.) 197/22; *देवेंद्र गोविंद राम रवीन बनाम रेखा* वैवा.अ.(कु.न्या.) 146/19; *कुलविंदर सिंह गहलोत बनाम परमिला* वैवा.अ.(कु.न्या.) 144/2019; *अंजू बनाम संदीप* वैवा.अ.(कु.न्या.)173/2022; *कविता त्यागी बनाम सुनील कुमार त्यागी* वैवा.अ.(कु.न्या.) 13/2022 ; *मंजीत खरब बनाम सरिता* वैवा.अ.(कु.न्या.) 221/2019; शिवशंकरन बनाम संथिमीनल, सीए.4984-4985/2021; *नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली* (2006) 4 558; *समर घोष बनाम जया घोष* (2007) 4 511; *कीर्ति नागपाल बनाम रोहित गिरधर* वैवा.अ.(कु.न्या.) 92/2020; *शिखा अग्रवाल बनाम अनिल अग्रवाल* वैवा.अ.(कु.न्या.) 68/2012; *शांताराम तुकाराम बनाम संध्या शांताराम सरफेयर* कु.न्या. अपील सं.94/2010 बॉम्बे उच्च न्यायालय ; *शेर मोहम्मद बनाम मोहन मंगोत्रा* 203 (2013) डीएलटी 708; *सुमन सिंह बनाम संजय सिंह* 200 (2013) डीएलटी 638 (डीबी); *अनिल भारद्वाज बनाम निर्मेश* एआईआर 1987 दिल्ली 111; *जी. पद्मिनी बनाम जी. शिवानंद बाबू*

(आ.प्र. उच्च .न्या.), एएओ सं.733 और 734/1997; *प्रबीर कुमार दास बनाम पापिया दास* (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय) और *मोनिका शर्मा बनाम कुलदिप कुमार डोगरा* (शिमला उच्च न्यायालय आ.प्र.अ. (हि.वि.अधि.) सं. 70 2013 के मामलों का अवलंब लिया है।

34. **पक्षकारों के अधिवक्ता से सुनी गई प्रस्तुतियाँ के साथ-साथ दस्तावेजों/लिखित प्रस्तुतियों का परिशीलन किया गया।**

35. युवा सेना अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में मिले और एक-दूसरे के लिए स्नेह विकसित किया जिसके बाद लगभग तीन वर्ष का दीर्घकालिक प्रेमालाप चला, और अंततः उन्होंने दिनांक 11.02.2010 को विवाह कर लिया। तीन साल तक एक साथ रहने के बावजूद, उन्हें अपने-अपने स्वभाव और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को समझने के लिए पर्याप्त समय देने के बावजूद, बड़ी समायोजन समस्याओं के कारण उनका लंबे समय तक नहीं टिक सकी। विवाह के तुरंत बाद, पक्षकार नजफगढ़ में अपीलार्थी/पति के वैवाहिक घर में लगभग 46 दिनों तक एक साथ रहे। इसके बाद, अपीलार्थी/पति जो कारगिल में तैनात था, चला गया और पत्नी दिल्ली में ही रही।

36. प्रत्यर्थी/पत्नी के अनुसार, अपीलार्थी/पति के माता-पिता, जिनकी सैन्य पृष्ठभूमि थी, को रु. 10,00,000- लाख रुपये और एक बड़ी कार कि भारी दहेज की अंतर्निहित अपेक्षा थी।, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। उन्होंने अपने परिष्कृत तरीके से उस आचरण को प्रकट करना शुरू कर दिया जो प्रत्यर्थी/पत्नी

के लिए प्रतिकूल था। प्रत्यर्थी/पत्नी, अपीलार्थी/पति के जाने के बाद, अपने भाई के विवाह में शामिल होने गई। अपीलार्थी/पति के चले जाने के बाद प्रत्यर्थी/पत्नी अपने भाई की शादी में शामिल होने चली गई। उसके बाद प्रत्यर्थी/पत्नी को उम्मीद थी कि अपीलार्थी/पति के माता-पिता उसे वापस बुला लेंगे, लेकिन प्रत्यर्थी के अनुसार अपीलार्थी/पति के परिवार के किसी भी सदस्य ने उसे वापस बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया; बल्कि उन्हें उससे यह उम्मीद थी कि वह अपना वेतन उन्हें दे देगी। इस तरह असंतुष्ट और भ्रमित, होकर प्रत्यर्थी/पत्नी ने दिल्ली में अपना स्वयं का सरकारी आवास ले लिया।

37. हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक पत्नी उन सदस्यों के बीच रहने के लिए एक वैवाहिक घर में आती है जो उससे अच्छी तरह से नहीं परिचित हैं और यह परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे उसे सहज बनाएं एवं घर में आनंदित महसूस करें, परंतु साथ ही नए सदस्य के लिए यह भी अनिवार्य है कि वह परिवार को अपने रूप में प्रतिग्रहण करे और अपने वैवाहिक घर में प्रत्यारोपण करने का प्रयास करे। प्रत्यर्थी ने खुद स्वीकार किया कि वह अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी और वापस नहीं आई। उनका यह प्राख्यान कि उन्हें वापस लौटने के लिए नहीं कहा गया, अस्वीकार्य प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिससे यह पता चले कि बहू होने के नाते उन्होंने अपने ससुराल वालों से संपर्क करने या स्वयं अपने ससुराल लौटने का कोई प्रयास किया। इसके बजाय,

उसने स्वीकार्य रूप से अपने लिए सरकारी आवास ले लिया। उसके आचरण से यह पता नहीं चलता कि अपीलार्थी या उसके माता-पिता का कोई ऐसा व्यवहार था जिसने उसे अपने लिए स्वतंत्र घर बनाने के लिए प्रेरित किया।

38. प्रत्यर्थी/पत्नी की गवाही से जो सामने आता है वह यह है कि वह अपीलार्थी/पति के माता-पिता के आचरण से नाखुश थी, जिसे उसने मांग करने वाला और अन्यायपूर्ण भी पाया। हालाँकि, बेबुनियाद प्राख्यानों को छोड़कर, उनके पास अपने प्राख्यानों की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है,

39. इसके अतिरिक्त, निर्विवाद रूप से, प्रत्यर्थी/पत्नी 5 से 10 दिनों के लिए कारगिल गई थी। अपीलार्थी/पति के अनुसार, प्रत्यर्थी/पत्नी आधिकारिक ड्यूटी पर 5 दिनों के लिए अस्थायी रूप से लेह आई थी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी/पत्नी सितंबर, 2010 में अपीलार्थी/पति के साथ जितना संभव हो सके उतना समय बिताने के लिए कारगिल गई थी। प्रत्यर्थी/पत्नी के अनुसार, वह उसके साथ लगभग 10 दिनों तक वहां रही। चाहे वह 5 दिन हो या 10 दिन, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि वे सितंबर, 2010 में कारगिल में एक साथ मिले थे, अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि इस अवधि तक स्पष्ट रूप से कोई बड़ा मुद्दा नहीं था।

40. अपीलार्थी/पति ने प्रत्यर्थी/पत्नी के लोभी होने के अपने दावे को सिद्ध करने की कोशिश की थी, यह प्राख्यान करके कि सगाई के बाद, उसने फ्लैट बुक करने के लिए शुरुआती राशि के रूप में 1,00,000/- रुपये मांगे थे। शादी

के बाद, उसने अतिरिक्त 4,00,000/- रुपये की मांग की। अपीलार्थी/पति ने फ्लैट की बुकिंग के लिए शुरुआत में उसे 75,000/- रुपये दिए, लेकिन उसने बाद में 4,00,000/- रुपये की मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई। इस पर, प्रत्यर्थी/पत्नी ने उस पर अपने माता-पिता से पैसे मांगने का आग्रह किया, जिस पर वह सहमत नहीं हुआ।

41. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने लिखित बयान में समझाया कि एक महिला की अपना घर रखने की महत्वाकांक्षा को पाप नहीं माना जा सकता है।

42. यह प्रत्यर्थी/पत्नी है जो अपने प्राख्यनों में सही है। जब दो लोग विवाह करते हैं तो वे अपना घरौंदा और एक ऐसा जीवन बनाने का इरादा रखते हैं जहाँ वे अपनी खुशियों का जश्न मना सकें और दुखों को एक साथ साझा कर सकें। प्रेमालाप के दौरान और बाद में फ्लैट खरीदने में समर्थ होने के लिए अपने पति से समर्थन की तलाश को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। अपीलार्थी/पति और प्रत्यर्थी/पत्नी ने जीवन साथी के रूप में हर प्रयास में एक-दूसरे का समर्थन करने का पवित्र संकल्प लिया। जिस घर के लिए उसने अपने पति से समर्थन मांगा था, उसे खरीदने का प्रयास करने की प्रत्यर्थी/पत्नी की इच्छा और प्रयास को किसी भी व्याख्या से लालच या अनुचित नहीं माना जा सकता है। उसके पति से अन्यायपूर्ण माँग किसी भी तरह से, अपने पति से वित्तीय सहायता के उसके अनुरोध को क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता है।

43. अपनी सेवा संबंधी आवश्यकताओं के कारण विवाह के तुरंत बाद ही दोनों पक्षकारों का अलग हो जाना, स्पष्टतः दोनों पक्षकारों हेतु हितकर नहीं था, क्योंकि यह समय उनके लिए अपने संबंध को पोषित करने तथा विवाह को स्थिर करने के लिए आपसी समझ विकसित करने का था। हालांकि, विवाहपूर्व उनका तीन वर्षों का प्रेमालाप था, लेकिन विवाह के बाद रिश्ते की उम्मीदें और रूपरेखा पूरी तरह बदल जाती है। जब वैवाहिक संबंध को प्यार और देखभाल के साथ पोषित किया जाता है, तो यह अपने शुरुआती दौर से एक पूर्ण विकसित रिश्ते में बदल जाता है, जिसे न केवल एक-दूसरे के साथ बल्कि अपने आस-पास के माहौल और लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से विकसित होना पड़ता है ताकि एक खुशहाल जीवन जीया जा सके। चूँकि शुरू में सिर्फ़ दोनों को ही साथ रहना था, इसलिए उनका जीवन सहज था लेकिन शादी के बाद, बातचीत सिर्फ़ अपीलार्थी तक सीमित नहीं रही, जिसके साथ प्रत्यर्थी/पत्नी को स्पष्ट रूप से कोई गंभीर समस्या नहीं थी। समस्या परिवारों की अपेक्षाओं को पूरा करने और अपीलार्थी/पति के माता-पिता के साथ समायोजन बिठाने में सामने आई। यह सबसे महत्वपूर्ण समय था जब उन्हें न केवल अपनी आपसी समझ को गहरा करने के लिए बल्कि अपने-अपने परिवारों के साथ स्वीकार्यता विकसित करने की दिशा में अपने संबंधों पर काम करना चाहिए था, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। उनकी शारीरिक दूरी ने उनके वैवाहिक जीवन में एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया; एक वर्ष से भी कम समय में यह न केवल उनके अलग होने का कारण

बना, बल्कि प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा अनिवार्य रूप से शिकायतों का विष-वामन बना।

44. बढ़ते वैवाहिक मतभेदों को महसूस करते हुए, अपीलार्थी/पति ने अपने कमान अधिकारी, ब्रिगेडियर एस. के. साहनी से भी सहायता मांगी थी, जिन्होंने वैवाहिक कलह को हल करने के प्रयास में एक बैठक भी आयोजित की थी। हालांकि, प्रत्यर्थी/पत्नी को उन पर विश्वास नहीं था और इसलिए वे अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए मदद के लिए उनसे मिलने नहीं आई।

45. यहां तक कि दिनांक 12.12.2010 को प्रत्यर्थी/पत्नी के जन्मदिन पर भी, आँखों में आशायें लिए और योजनाओं के साथ, अपीलार्थी/पति ने 5 दिन की छुट्टी ली और जश्न मनाने के लिए दिल्ली आया, लेकिन उसे निराशा हुई जब प्रत्यर्थी/पत्नी ने एक महंगे हीरे के सेट का दावा किया जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। अपीलार्थी/पति के अनुसार, प्रत्यर्थी/पत्नी ने फिर उसकी मां के स्वामित्व वाले एक महंगे हीरे के सेट की मांग की। चूंकि वह मांगों को पूरा नहीं कर सका, इसलिए जाहिर तौर पर यह वह स्थिति थी जब रिश्ते में तनाव आ गया और द्वेषपूर्ण परिस्थितियों ने खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया।

46. अपीलार्थी ने प्राख्यान किया कि दिनांक 17.12.2010 को, प्रत्यर्थी ने उसकी माँ को गाली देना शुरू कर दिया और उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर उसके साथ हाथापाई की और धक्का दिया। प्रत्यर्थी के माता-पिता उनके घर आए और अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को चिल्लाने और गाली देने

लगे। उसके पिता ने भी उन्हें धमकी दी और कहा कि वह "यमुना पर का गुंडा" है। पुलिस को कॉल करना पड़ा और उसके पिता ने शिकायत दर्ज कराई।

47. यद्यपि उनके पिता कर्नल (सेवानिवृत्त) हरे राम सिंह, जो अभि.सा.-2 के रूप में उपस्थित हुए, ने दिनांक 17.12.2010 को पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत करने से इनकार किया, लेकिन अपीलार्थी ने दिनांक 25.12.2010 को प्र.-अभि.सा.2/2 की शिकायत दर्ज कराई थी, जो उनकी मां द्वारा की गई थी, जो अध्यक्ष, एडब्ल्यूडब्ल्यूए, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को संबोधित थी, जिसमें इस घटना की सूचना दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के बाद उन्होंने अपने बेटे (अपीलार्थी) और बहू से संबंध तोड़ लिए हैं और घर में उसके प्रवेश को रोकने के लिए समाचार पत्र में एक अस्वीकृति भी प्रकाशित की है।

48. अपीलार्थी ने अपने पिता द्वारा पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पश्चिम जिला, द्वारका, नई दिल्ली को दी गई शिकायत दिनांक 17.09.2011 प्र.-अभि.सा.2/घ भी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने दिनांक 17.12.2010 की घटना का उल्लेख किया। उक्त शिकायत में, यह स्पष्ट किया गया है कि जब वह और उसकी पत्नी अपने घर में अकेले थे और अपीलार्थी बाजार गया हुआ था, तो प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के साथ उनके घर आई और शिकायतकर्ता के घर का कांच का दरवाजा और अन्य घरेलू सामान तोड़ दिया। प्रत्यर्थी की माँ ने अपीलार्थी की माँ को पकड़ लिया और प्रत्यर्थी को उसे पीटने के लिए उकसाया। उसने

अपीलार्थी की माँ को मुक्का और पैर से मारा और डंडा मारा और उसे धक्का भी दिया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

49. इसलिए, यह उभर कर आता है कि अभि.सा.2 कर्नल (सेवानिवृत्त) हरे सिंह ने सही कहा था कि उन्होंने दिनांक 17.12.2010 को शिकायत नहीं की थी, लेकिन इस घटना का उल्लेख उन्होंने दिनांक 17.09.2011 की अपनी पश्चात्वर्ती शिकायत में किया था। केवल इसलिए कि इस घटना को प्रत्यर्थी की प्रतिपरीक्षा में नहीं रखा गया था, इस घटना को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के प्रकाश में दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि चीजें ठीक से काम नहीं कर रही थीं और प्रत्यर्थी के साथ सौहार्द बनाए रखने में सक्षम होने के लिए अपीलार्थी द्वारा किए गए सभी प्रयासों का उत्तर हिंसक कृत्यों से दिया जा रहा था, जैसा कि दिनांक 17.12.2010 को हुआ था।

50. अपीलार्थी ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 25.12.2010 को प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के साथ एक सेना वाहन (4 टन) में दो अर्दली के साथ आई और अपने कपड़े, घरेलू सामान, आभूषण, टीवी सहित सारा सामान वाहन में लादना शुरू कर दिया और यद्यपि अपीलार्थी के माता-पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन वह नहीं रुकी। उसके पिता ने पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन वे भी उसे नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। महिला होने का फायदा उठाते हुए उसने उसकी माँ को पीटा और कॉलोनी के लोगों के सामने भी तमाशा खड़ा किया। उसने परिवार को गालियाँ दीं और घर का सारा सामान लेकर चली गई।

फिर से, प्रतिवादी द्वारा कोई विरोधाभास या प्रति-साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इनकार किया जा सके कि उसने दिनांक 25.12.2010 को वैवाहिक घर का त्याग किया था।

51. अपीलार्थी की माँ श्रीमती लीलावती ने एडब्ल्यूडब्ल्यूए., प्र.अभि.सा.-2/2 को दिनांक 25.12.2010 को दी गई अपनी शिकायत में 25.12.2010 की घटना के बारे में भी बताया और बताया कि प्रतिवादी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया है। अभि.सा.-2 कर्नल (सेवानिवृत्त) हरे राम सिंह ने अपनी गवाही में दिनांक 25.12.2010 की अपनी शिकायत को भी साबित किया है, जो उन्होंने थाना छावला, दिल्ली में की थी, जिस दिन दिनांक 25.12.2010 को डीडी सं. 14 और डीडी सं. 14क को पंजीकृत की गई थी। प्रत्यर्थी ने इन सभी घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से चुप्पी साधी है और केवल यह प्राख्यान किया है कि अपीलार्थी के माता-पिता की दहेज की अपेक्षाओं के कारण दोनों पक्षकारों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया।

52. फरवरी में अपने विवाह की तिथि से दिसंबर, 2010 तक लगभग 10 माह की अवधि में प्रत्यर्थी के आचरण से अपीलार्थी ने शारीरिक, वित्तीय व मानसिक क्रूरता से पूरी तरह से निराश महसूस किया, जिससे वह अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। इसके बाद उन्होंने दिनांक 09.03.2011 को विवाह विच्छेद की याचिका दायर की। अफसोस की बात है न तो प्रत्यर्थी द्वारा और न ही किसी सुलह-समझौते के प्रयास द्वारा इसका विरोध किया गया,

हालांकि न केवल अपीलार्थी के विरुद्ध, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी विभिन्न शिकायतें की गईं।

53. इसके तुरंत बाद प्रत्यर्थी ने दिनांक 23.03.2011 को पुनः सीएडब्ल्यू सेल में अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः थाना गुलाबी बाग में भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं), 1908 की धारा 406/498ए/34 के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 48/2011 दर्ज की गई। अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को अग्रिम जमानत मांगनी पड़ी, जिसे दिनांक 30.09.2011 के आदेश के तहत मंजूर किया गया। प्रत्यर्थी ने स्वीकार्य रूप से जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की, हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो पायी।

54. इसके तुरंत बाद दिनांक 12.05.2011 को, उन्होंने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक याचिका भी दायर की, जिसमें फिर से घरेलू हिंसा के आरोप लगाए गए। हालांकि, विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

55. यह स्पष्ट है कि विवाह विच्छेद याचिका के जवाब में प्रत्यर्थी ने डी.वी. अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) 1908 के प्रावधानों के तहत क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोपों पर अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। डी.वी. अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत

याचिका को खारिज करते हुए विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई थी।

56. जैसा कि पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, प्रत्यर्थी ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में ऐसी कोई घटना उल्लेखित नहीं की है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वह वास्तव में क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का शिकार हुई थी। जैसा कि दोनों पक्षकारों की गवाही से स्पष्ट है, वे शुरू में 46 दिनों तक एक साथ रहे और तत्पश्चात, जब अपीलार्थी कारगिल में अपनी पोस्टिंग के स्थान पर वापस चला गया, तो प्रत्यर्थी शुरू में अपने माता-पिता के घर पर रहा और उसके बाद उसने अपना सरकारी आवास ले लिया। इसके बाद, वे सितंबर, 2010 में कारगिल में लगभग पांच/दस दिन के लिए तथा पुनः दिनांक 12.12.2010 से 25.12.2010 तक दिल्ली में 10 दिन के लिए बमुश्किल एक साथ रहे, जिसके बाद स्वीकार रूप से प्रत्यर्थी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया। इस अवधि के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा एक भी महत्वपूर्ण घटना साबित नहीं की गई है। यह स्पष्ट है कि दहेज की मांग और उत्पीड़न के उसके सभी आरोप, वास्तविकता से अधिक, आरोपों के दायरे में थे।

57. प्रत्यर्थी ने अपने शपथ पत्र में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि भले ही विवाह विच्छेद याचिका दायर की गई थी और लंबित थी, अपीलार्थी अक्टूबर-नवंबर, 2011 में अपने सरकारी आवास में उसके साथ रहने आई थी और यहां तक कि सह-निवास भी किया था। अपीलार्थी ने समझौते की शर्तों का प्रस्ताव

रखा और यह कहकर उसका घर छोड़ दिया कि वह अपने माता-पिता को उनके विवादों को निपटाने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। हालांकि, वह वापस नहीं आया और उसने सोचा कि वह लापता हो गया है और पुलिस में शिकायत की और दिनांक 10.11.2011 को अपीलार्थी के माता-पिता के घर गई। पुलिस अपीलार्थी के घर पहुंची और जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसे सूचित किया गया कि अपीलार्थी गुड़गांव चला गया है। हालांकि, जल्द ही अपीलार्थी और उसका चचेरा भाई घर से बाहर आ गया और उन सभी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे गंभीर चोटें आयी। दिनांक 10.11.2011 की इस घटना के संबंध में प्रत्यर्थी के कहने पर अपीलार्थी, उसके माता-पिता और उसके चचेरे भाई के विरुद्ध एक और शिकायत दर्ज की गई थी।

58. हालांकि, अपीलार्थी के पास सुनाने के लिए एक और कहानी थी, जिसने अपनी शिकायत दिनांक 10.11.2011 प्र.अभि.सा.-1/17 में स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी उनके घर आई थी और उन सभी के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें उसे और उसके परिवार के सदस्यों को प्रत्यर्थी और उसके पिता द्वारा पीटा गया था। उन्होंने उसे पीटने के बाद जवाबी कार्रवाई की। अपनी गवाही में, अपीलार्थी ने कहा कि उसकी पत्नी ने समाज में उनकी बदनामी करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम में उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने की हद तक कोशिश की थी। यह बात उभर कर सामने आई है कि

दिनांक 10.11.2011 की घटना के दो दिन बाद यानी दिनांक 12.11.2011 को इस घटना को द हिन्दू जैसे प्रमुख समाचार पत्रों और कई अन्य अंग्रेजी और हिंदी चैनलों पर बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया, जिससे उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से बहुत अपमानित होना पड़ा। इतना अधिक कि इस घटना के बारे में उनके कमांडर द्वारा उनकी टिप्पणियों पर भी प्रश्न उठाए गए और उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा। अपीलार्थी ने समाचार पत्रों की कटिंग को पेश किया था, जिन पर "मार्क झ" और उनके द्वारा दी गई टिप्पणियों की प्रतिलिपि पर भी "मार्क ञ (कॉली)" अंकित है।

59. दिनांक 10.11.2011 के आपसी झगड़े की घटना से इनकार नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने भा.दं.सं. की धारा 323 व 34 के तहत थाना छावला में शिकायत मामला सं. 4998618/2016 दर्ज किया। विद्वान दंडाधिकारी ने पूरे साक्ष्य की विवेचना करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि परिस्थितियों की समग्रता से अपीलार्थी के बचाव को स्वीकार करना उचित लगता है कि वह अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों की अग्रिम जमानत रद्द करने के एकमात्र इरादे से उनके घर आई थी। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्यर्थी अपने द्वारा दावा किए गए घटना को साबित करने में सक्षम नहीं थी और अपीलार्थी को संदेह लाभ देते हुए शिकायत को खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को दोषमुक्त कर दिया गया।

60. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिनांक 10.11.2011 की घटना के बाद प्रत्यर्थी द्वारा जमानत आवेदन रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया गया था, जो अपीलार्थी को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से बल्कि उसके भविष्य को भी नुकसान पहुंचाने की प्रतिकारिता की भावना को दर्शाता है।

61. दिनांक 10.11.2011 की घटना के परिणामस्वरूप न केवल आपराधिक शिकायत दर्ज की गई, जिसका विचारण लगभग 10 वर्षों तक चला, बल्कि अपीलार्थी और परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा भी गंवानी पड़ी। हम इन समाचार पत्रों की कटिंग और उनमें प्रकाशित लेखों पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते हैं या इस बात की तकनीकी बातों में नहीं पड़ सकते हैं कि यह कार्य जानबूझकर किया गया था या नहीं, हालांकि, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिनांक 10.11.2011 की पूरी घटना एवं लगभग 10 वर्षों के लंबे वाद का संचयी प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों को बरी कर दिया गया, विवाह विच्छेद की याचिका दायर करने के तुरंत बाद इस तरह के समाचार प्रकाशन और झूठी शिकायत और अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को अंतहीन आपराधिक मुकदमों के इस चक्र में घसीटना, जिसमें पूरे परिवार के खिलाफ गंभीर दहेज व उत्पीड़न के आरोपों के साथ भा.दं.सं. की धारा 498 क/406 के तहत मामला शामिल है, जो स्पष्ट रूप से 2011 से अभी भी जारी है, अपीलार्थी और उसके परिवार के

सदस्यों के लिए मानसिक, भावनात्मक एवं शारीरिक क्रूरता का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है।

62. दहेज उत्पीड़न के ऐसे निराधार आरोप लगाना, जो स्पष्ट रूप से पक्षकारों के पारिवारिक परिस्थितियों से सिद्ध नहीं होते, कुछ और नहीं बल्कि मानसिक आघात और क्रूरता का कार्य है जैसा कि *के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता* X (2014) एसएलटी 126 के मामले में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने *रवि कुमार बनाम जुल्मीदेवी* (2010) 4 एससीसी 476 के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि "पति व परिवार के सदस्यों के खिलाफ *लापरवाही, मिथ्या एवं मानहानिकारक* आरोप समाज की नजर में उनकी प्रतिष्ठा को कम करने का प्रभाव उनकी प्रतिष्ठा को कम करने पर पड़ेगा और यह क्रूरता के समान है।" इसी तरह की टिप्पणियां इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा *रीता बनाम जय सोलंकी* (2017) एससीसी ऑनलाइन डेल 9078 तथा *निशि बनाम जगदीश राम* 233 (2016) डीएलटी 50 के मामले में की गई थी।

63. यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पक्षकारों व उनके संबंधित परिवारों के बीच समायोजन की कमी के कारण असफल विवाह से असंतुष्ट होकर, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपने घुटनों पर लाने और उसका भविष्य बर्बाद करने के लिए झूठे आरोप लगाने और शिकायत करने जैसे सभी कृत्यों का सहारा लिया।

64. *<u>जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार</u>* 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 146 के हालिया मामले में, इसी तरह के तथ्यों में, न केवल सेना में पति के वरिष्ठों के समक्ष मानहानिकारक शिकायतें की गईं, जिसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आयोजित की गई, बल्कि इसका उनके करियर की प्रगति पर भी असर पड़ा। यह देखा गया कि एक उच्च शिक्षित पति या पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप, जो अपीलार्थी के चरित्र और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुँचाने और उसके सहकर्मियों, वरिष्ठों और बड़े पैमाने पर समाज के बीच उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे कृत्य होंगे, जिनके लिए पीड़ित पक्षकार से क्षमा की उम्मीद करना मुश्किल है। पत्नी का यह स्पष्टीकरण कि वैवाहिक संबंधों के संरक्षणार्थ शिकायतें की गई थीं, किसी भी मानक से पति की गरिमा को कम करने के उसके लगातार प्रयासों को उचित ठहराने के लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, पीड़ित पक्षकार से वैवाहिक संबंध जारी रखने की आशा नहीं की जा सकती है और अलग होने के लिए पर्याप्त न्यायोचितता है।

65. प्रत्यर्थी ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में आगे आरोप लगाया है कि अपीलार्थी ने विवाह विच्छेद हुए बिना ही अपने आधिकारिक दस्तावेजों में अपनी स्थिति को तलाकशुदा के रूप में बदलकर गुमराह करना शुरू कर दिया, जबकि विवाह विच्छेद नहीं हुआ था। उसने आगे यह भी कहा कि उसने लड़कियों के

साथ खुलकर बातचीत करना शुरू कर दिया एवं स्वयं को अविवाहित बताना शुरू कर दिया।

66. अपीलार्थी ने अपनी गवाही में यह प्रकथन भी किया कि प्रत्यर्थी ने श्री दीपक पांडे के खिलाफ सेना के समक्ष शिकायत की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वह अपीलार्थी के उकसावे पर उसे अश्लील कॉल कर रहा था। हालांकि, शिकायत पर उनके दिनांक 07.10.2011 के उत्तर के अनुसार, उन्होंने दीपक पांडे नाम के किसी भी व्यक्ति से परिचित होने से इनकार किया, लेकिन स्वीकार किया कि शिकायत में प्रत्यर्थी द्वारा उल्लिखित फोन नंबर, जिससे उन्हें कॉल आए, उनके भाई का था और उन्होंने उसी का उपयोग किया था जब वह दिल्ली में थे। प्रत्यर्थी की धारणाओं में कुछ आधार हो सकता है, क्योंकि यह माना जा सकता है कि फोन नंबर का उपयोग एक समय में उसके पति द्वारा किया गया था, लेकिन यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह अपीलार्थी ही था जिसने प्रत्यर्थी को कॉल करवाया था।

67. प्रत्यर्थी ने यह भी प्रकथन किया कि अपीलार्थी ने श्री एम. पी. के साथ अपनी पहली शादी के दौरान उसके पुनर्विवाह के आरोप लगाए थे और इससे उनका बहुत अपमान हुआ था। अपीलार्थी ने यह कहते हुए इसका स्पष्टीकरण दिया है कि उसे श्री एम. पी. के बारे में उसके मित्र श्री सत्यव्रत के माध्यम से पता चला, जिसने उसे शिमला में श्री एम. पी. और प्रत्यर्थी की तस्वीरें उपलब्ध कराई थीं। उसने कहा कि हालांकि तस्वीरें विवाह का प्रमाण नहीं हैं, लेकिन

उसके दोस्त ने उसे विश्वास दिलाया कि प्रत्यर्थी और श्री एम. पी. की शादी हो गई थी और वे अपने हनीमून के लिए शिमला गए थे।

68. यह बात सामने आई है कि याचिका दायर करने के बाद पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा लगाए गए आरोपों की श्रृंखला डोमिनो प्रभाव से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम था। प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के अन्य लड़कियों के साथ संबंध होने के आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे और सेना के अधिकारियों को शिकायत करने और आरोप लगाने से पहले कि वरिष्ठ दीपक पांडे द्वारा अश्लील कॉल उसके कहने पर किए गए थे, उसके पति के साथ फोन नंबर के विवरण को सत्यापित करने का प्रयास करना चाहिए था। इसी प्रकार, पति को भी दूसरे विवाह के आरोप लगाने से पहले केवल सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था; हालांकि, पति-पत्नी के बीच संबंध इतने नाजुक और आशंकाओं से भरे हुए थे कि वे निष्कर्ष पर पहुँचने में जल्दबाजी कर रहे थे। इस प्रकार यह बात सामने आई है कि हालांकि इन आरोपों की पुष्टि या औचित्य नहीं किया गया है, और इसलिए, वर्तमान मामले में किसी भी पति-पत्नी द्वारा क्रूरता नहीं कही जा सकती है।

69. हम यह भी देख सकते हैं कि बेशक, वर्ष 2010 में दोनों पक्षकार अलग हो गए थे और तब से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दोनों पक्षों के अलग होने के बाद सुलह के लिए कोई प्रयास किया

गया था। बल्कि, अपीलार्थी की गवाही से पता चलता है कि एक-दूसरे से अलग होने के बाद, प्रत्यर्थी ने पुलिस में कई शिकायतें कीं। एक जोड़े को एक-दूसरे की संगति से वंचित करना यह साबित करता है कि विवाह नहीं चल सकता है और एक पति या पत्नी को दूसरे पति या पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंध से वंचित करना अत्यधिक क्रूरता का कार्य है। प्रत्यर्थी के कृत्य उसके गैर-सुलहकारी रवैये को दर्शाते हैं और यह भी स्थापित करते हैं कि वह अपीलार्थी की संगति से दूर हो गई थी और बिना किसी उचित कारण के अपने वैवाहिक संबंध को त्याग दिया था। प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंध को फिर से शुरू करने का कोई प्रयास न करते हुए इतना दीर्घकालिक अलगाव क्रूरता का कार्य है जैसा कि *समर घोष बनाम जया घोष* (2007) 4 एससीसी 511 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

70. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अभिलेख पर साक्ष्य से साबित होता है कि पक्षकारों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है और झूठे आरोपों, पुलिस रिपोर्टों और आपराधिक शिकायतों के साथ इतने दीर्घकालिक अलगाव को केवल मानसिक क्रूरता कहा जा सकता है। यह मृत संबंध कटुता, अपरिवर्तनीय मतभेदों और लम्बी मुकदमेबाजी से ग्रस्त हो गया है; इस संबंध को जारी रखने के लिए कोई भी आग्रह केवल दोनों पक्षों पर और अधिक क्रूरता को बढ़ावा देने जैसा होगा।

71. **हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी के प्रति प्रत्यर्थी द्वारा की गई क्रूरता को साबित करने के लिए अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे। तदनुसार, हम दिनांक 21.12.2018 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं एवं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(-क) के तहत क्रूरता के आधार पर अपीलार्थी को विवाह विच्छेद की स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

72. अपील स्वीकृत की जाती है एवं तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

नीना बंसल कृष्णा
(न्यायाधीश)

सुरेश कुमार कैत
(न्यायाधीश)

6 मार्च, 2024
एस.शर्मा/आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्झेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*